

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अंचल, सीतामढ़ी।

पत्रांक: 905/सीतामढ़ी/

दिनांक: 23-10-2024

ई० दीपनारायण प्रसाद
अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, सीतामढ़ी।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, पुपरी।

विषय

शीर्ष MMSY योजनान्तर्गत कार्य प्रमंडल, पुपरी को अधीन Kameshwar Chaudhary House to PMGSY Road Patdama (Tender ID- 132318) का निर्माण कार्य के निविदा की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

- उपर्युक्त विषयक कार्य बिहार लोक निर्माण संहिता के कण्डिका-163 के आलोक में इस कार्य में न्यूनतम निविदाकार संवेदक Vidya Charan Shukla (बीड आईडी-676309) को उद्भूत दर, जो कि परिमाण विपत्र की दर से (-) 6.11 (छः दशगलव एक एक) प्रतिशत कम पर, अर्थात् कुल राशि 42,19,693.00 (बियालीस लाख उन्नीस हजार छः सौ तिरानवे रुपये) मात्र की लागत पर कार्य हित में आवंटित किया जाता है।
- निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वाधार नहीं होगा।
- संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिए जमा की गई राशि एवं निविदा के साथ जमा किये गये संबंधित एन०एस०सी०/Fixed Deposit/BG आदि का सत्यापन संबंधित डाकघर/बैंक से कराकर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित किया जायेगा। कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, पुपरी कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व अग्रधन की राशि के सत्यापन से संबंधित कागजात अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- एकरारनामा के पूर्व निविदा सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा।
- एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि निविदाकार डिबार/सूची/काली सूची या कार्य लवित सूची में शामिल न हों।
- कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है, कार्य कराते समय अगर इसमें कमी पाई जाती है तो उसके दर में सापेक्ष कमी कर दी जायेगी।
- इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्त में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
- अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक बिन्दु की जाँच अपने स्तर से स्वयं कर लेंगे एवं त्रुटि पाये जाने की स्थिति में वस्तुस्थिति से तत्क्षण अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। त्रुटि के सुधारोपरान्त एकरारनामा की कार्यवाई की जायेगी।
- एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जाँच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि इसमें कोई त्रुटि न हो।
- कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में किये गये उपबंध से पूरी तरह आश्वस्त हो लेंगे एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रावैधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। पथ का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, प्रशासनिक स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्भूत दर परकर्मित दर, आवंटन/LOA निर्गत करने से पूर्व गिलान कर लेंगे कि परिमाण विपत्र की राशि प्रशासनिक अनुमोदन की राशि के अनुज्ञेय सीमा के अन्दर है। यदि अनुज्ञेय सीमा के अधिक हो तो एकरारनामा के पूर्व पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।
- कार्यादेश निर्गत करने से पहले संबंधित संवेदक से एकरारित अवधि के अन्दर कार्य समाप्त करने हेतु मासिक कार्य प्रोग्राम हस्ताक्षरित कराकर प्राप्त कर लेंगे जो की एकरारनामा का भाग होगा।
- कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित कार्य अवधि के अंदर पूरा की जायेगी।

Executive Engineer
PWD, Works Division, Pupri

13. कार्य समाप्ति की अवधि निम्नलिखित आगवृत्त सूचना के अनुसार होगी।
14. इस कार्य का व्यय जीर्ण MINGSY योजनामार्फत से मिलने वाले राशि अंतर्गत उपयुक्त राशि से विकसित होगा।
15. कार्य का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महीने की सातवीं तारीख तक निश्चित रूप से इस कार्यालय को समर्पित की जाय।
16. सभी निम्नलिखित कामजात एवं तुलनात्मक विवरणों की मूल प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु लीटाई जाती है। अन्य निम्नलिखित कामजातों एवं तुलनात्मक विवरणों के तीसरे/चौथे भाग आप आवश्यक निदेशों को अपने स्तर से निर्गत करेंगे।
17. एकरारनामा से पहले निम्नलिखितों द्वारा दिये गये कामजात का सत्यापन उनके मूल कामजात से मिलान कर लेंगे। निदेश दिया जाता है कि संवेदक से कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर लेंगे तथा उनका कार्य क्षमता कुशलता एवं पूर्ण से अव्यक्त कार्य की प्रगति से संतुष्ट हो लें।
18. इस निम्नलिखित की राशि में अगर कोई अंतर होता है तो इसकी सूचना तुरन्त इस कार्यालय की दी जाय।
19. कार्यपालक अभियंता, एकरारनामा करने को पूर्ण संवेदक का निवेदन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या पर्याप्त रूप से अधिकृत करेंगे तथा इस कार्यालय को सूचित करेंगे।
20. परिमाण विपत्र की दर से कम दर उद्धृत करने वाले संवेदक से विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिये निदेश के आलोक में अनिश्चित वांछित परफॉर्मेंस सिस्टम/रिट की राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
21. किसी भी परिस्थिति में निजी जमीन पर निर्माण नहीं कराया जाय।
22. प्रत्येक 15 दिनों पर संवेदक से स्वहस्ताक्षरित विपत्र प्राप्त कर स्थल से मिलान कर मापी पुस्तिका में मापी दर्ज कर भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
23. कार्यपालक अभियंता कार्यालय आदेश प्राप्त होते ही संवेदक को अविलंब LOA (Letter of Acceptance) निर्गत करेंगे एवं SBD की ITB की कड़िका में निहित प्रावधान के आलोक में निर्धारित समय के अन्दर एकरारनामा की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। विशेष परिस्थिति में उचित निर्धारित अवधि के पश्चात् एकरारनामा करने हेतु Proper Justification उचित माध्यम से समर्पित करेंगे एवं अधोहस्ताक्षरी के अनुमति के उपरांत ही एकरारनामा करेंगे।

विश्वासभाजन

(ई० दीपनास्यण प्रसाद)
अधीक्षण अभियंता

$$0-5 = 0.25 \times 5 \times 0.25 = 1.25$$

$$5-6.11 = 1.11 \times 0.5 = 0.555$$

$$\underline{1.805}$$

BOD due to 449 4294 x 1.805 = 28/122 = 00

4219 693 x 2% = 84394 = 00

123319 = 00

45000 = 00

78319 = 00